संख्या:65/2020/1473 ई-2/तेरह-2020-06/1991

प्रेषक

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरनगर।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 22 जुलाई, 2020

विषय:-मेसर्स नमस्ते एअरपोर्ट सर्विसेज प्रा.लि., पंजीकृत कार्यालय-1245, सेक्टर-ए, पॉकेट-बी., वसन्त कुन्ज, नई दिल्ली के रेस्टोरन्ट ''नमस्ते द्वार'' ग्राम हुसैनपुर बोपाडा रोड, पोस्ट-मंसूरपुर, तहसील-खतौली, जिला मुजफ्फरनगर को एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को संबोधित एवं शासन को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-265/1/आब.सहा./बार अनुज्ञापन/2019-20/मु.नगर, दिनांक 29.11.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 29.11.2019 द्वारा उपलब्ध कराई गई जिला बार समिति की रिपोर्ट दिनांक 06.11.2019 में की गई संस्तुति तथा आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-जी-34/दस-लाइसेंस-66/एफ.एल.-6-7/नमस्ते द्वार/बार अनु./मु.नगर, दिनांक 27.06.2020 द्वारा उपलब्ध कराई गई संस्तुति के दृष्टिगत मेसर्स नमस्ते एअरपोर्ट सर्विसेज प्रा.लि., पंजीकृत कार्यालय-1245, सेक्टर-ए, पॉकेट-बी., वसन्त कुन्ज, नई दिल्ली के रेस्टोरन्ट ''नमस्ते द्वार'' ग्राम हुसैनपुर बोपाडा रोड, पोस्ट-मंसूरपुर, तहसील-खतौली, जिला मुजफ्फरनगर को एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट में अग्निशमन यन्त्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में रहेंगे तथा अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति में दी गई शर्तों का इकाई द्वारा पालन किया जायेगा। साथ ही प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे एवं हैंड हेल्ड मेटल डिटैक्टर से सुसज्जित सुरक्षाकर्मियों की समुचित/पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-65/2020/1473(1)ई-2/तेरह-2020 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-34/दस-लाइसेंस-66/एफ.एल.-6-7/नमस्ते द्वार/बार अनु./मु.नगर, दिनांक 27.06.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।